उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग–1

संख्याः 4070 / 9–आ–1–97

लखनऊः दिनांक 14 अगस्त,1997

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिस्कारों सहित पुनः अधिनियम न) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974)द्वारा परिस्कारों सहित पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 26–क की उपधारा (4) के परन्तुक के साथ पठित धारा–55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए रीति और निबंधन और शर्तें प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण (निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आनुकल्पिक भूमि या वास सुविधा) नियमावली, 1997 :

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण (निर्बल वर्ग)के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आनुकल्पिक भूमि या वास सुविधा नियमावली, 1997 कही जायेगी।
(2) यह उत्तर प्रदेश में समस्त विकास प्राधिकरणों पर लागू होगी।
(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2. जब कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–
(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 से है,
(ख) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

निर्बल वर्ग के व्यक्तियों की सूची का तैयार किया जाना।

3. (1) निर्बल वर्ग के ऐसे व्यक्तियों की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम,1997 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पूर्व किसी विकास क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है, प्रमाण में एक सूची निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर सत्यापित की जायेगी कि सूची में निर्बल वर्ग के व्यक्ति हैं।
(क) प्राधिकरण में निहित किसी सार्वजनिक भूमि के मामले में, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निर्मित सशक्त प्राधिकरण, को कोई अन्य अधिकारी, या
(ख) राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग या स्थानीय प्राधिकरण, जिनमें वह सार्वजनिक भूमि निहित हो, के ऐसे अधिकारी जिन्हें इस निमित्त सशक्त किया जाय या जिनका उस सार्वजनिक भूमि पर पर्यवेक्षण या नियंत्रण हो।
(2) उप नियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची की एक प्रति राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विकास प्राधिकरण को भेजी जायेगी।

आधुनिक भूमि या वास सुविधा का प्रस्ताव

4. (1) विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार का सम्बन्धित विभाग या स्थानीय प्राधिकरण, यथास्थिति, नियम–3 के उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा किसी विकास क्षेत्र में किसी सार्वजनिक भूमि पर किये गये किसी अतिक्रमण को हटाने के पूर्व ऐसे व्यक्ति के परिवार के प्रधान को ऐसे आकार की भूमि निर्मित, अर्द्धनिर्मित, अनिर्मित वास सुविधा जैसे समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, के प्रस्ताव की एक लिखित नोटिसें जारी करेगा।
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट भूमि या वास सुविधा, ऐसी भूमि या वास सुविधा की कीमत के बदले में आवंटित की जायेगी जिसे आवंटिती से दैनिक, साप्ताहिक या मासिक किश्तों में ऐसी अवधि के भीतर वसूल किया जाय जो कि आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के व्यक्ति के लिये वित्त पोषण या वित्त पोषक योजना के लिये विकास और नगर विकास निगम या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बनायी गयी योजना के अनुरूप होगी।
परन्तु यह कि मासिक किश्त का भुगतान नियत समय के भीतर कर दिया जाय जिसमें विफल होने पर उसे यथासमय भुगतान के लिए उपलब्ध होने वाला प्रोत्साहन उस मास कि लिए उपलब्ध नही होगा और आवंटिती उसके सम्बन्ध में लागू विधि के अनुसार बेदखली का पात्र होगा।

करार का निष्पादन

5. यथास्थिति विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग या स्थानीय प्राधिकरण और आनुकल्पिक भूमि या वास सुविधा के आवंटिती के मध्य नियम–4 के अधीन उसे आवंटित भूमि या वास सुविधा की कीमत के भुगतान के लिए एक करार का निष्पादन किया जायेगा और तदनुसार आवंटिती अपने द्वारा अतिक्रमित सार्वजनिक भूमि को करार के तीन दिन के भीतर, खाली कर देगा और यथास्थिति, आवंटित भूमि या वास सुविधा का कब्जा उसके द्वारा अधिक्रमण की सार्वजनिक भूमि के खाली करने के एक घन्टे के भीतर आवंटिती को दे दिया जायेगा।

सार्वजनिक भूमि को खाली न करने का परिणामः

6. जब कोई आवंटिती नियम–5 के अधीन सार्वजनिक भूमि को खाली करने में विफल रहता है या नियम 4 के अधीन किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो इसे धारा 26(क) की उपधारा (4) के परन्तुक का पर्याप्त अनुपालन समझा जायेगा अर आवंटिती सार्वजनिक भूमि से बिना किसी नोटिस के हटा दिये जाने का पात्र होगा और यदि आवश्यक हो तो, अतिक्रमण बलपूर्वक हटाया जा सकता है।

अन्तरण के रजिस्ट्रीकरण होने तक आवंटित भूमि या वास स्थान सार्वजनिक भूमि होगी।

7. (1) जब तक नियम 4 के अधीन आवंटित किसी भूमि या वास स्थान का स्वामित्व रजिस्ट्रीकृत लिखत के माध्यम से आवंटिती को अन्तरिम न कर दिया जाय तब तक भूमि या वास स्थान आवंटिती का नहीं होगा और धारा 26 (क) के अर्थान्तर्गत सार्वजनिक भूमि बनी रहेगी।

(2) जहां किसी व्यक्ति के कब्जे में आवंटन के बिना कोई भूमि या वास स्थान हो, वहां धारा 26 के अर्थान्तर्गत यह समझाा जायेगा कि उसने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है।

8. (1) कोई व्यक्ति जिसे इस नियमावली के अधीन किसी वैकल्पिक या वास सुविधा का प्रस्ताव किये जाने य आवंटित किये जाने के पश्चात वह किसी विकास क्षेत्र में किसी सार्वजनिक भूमि पुनः प्रवेश करता है, धारा 26(क) के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत अभियोगी होगी।

(2) कोई व्यक्ति जिसे उसके पुनर्वास के लिए एक बार आनुकल्पिक भूमि या वास सुविधा का प्रस्ताव किया गया हो या दिया गया हो, वह इस नियमावली के अधीन पुनर्वास के लिए पुनः पात्र नहीं होगा।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्याः 4070(1)/9–आ–1–97 तददिनांक

प्रतिलिपिः अधिसूचना के अंग्रेली पाठ संयुक्त अधीक्षक, मुद्रण लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उत्तर प्रदेश साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ख) भाग–4 में दिनांक 13 अगस्त, 1997 कोप्रकाशित करने तथा अधिसूचना की 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित :–

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्याः 4070(1) /9–आ–1–97 तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को तुरन्त कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर निगमों के मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित नगरपालिका परिषदों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग।
7. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह पुलिस विभाग।
9. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।

आज्ञा से,

रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव

प्रपत्र–1

(नियम–3(1) देखिये)

विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले, निर्बल वर्ग के परिवारों या व्यक्तियों का विवरण

सेक्टर/ मोहल्ला/ कालोनी का नाम : अन्य स्थिति :

क्रमांक	परिवार के प्रधान का नाम	आयु	पिता का नाम	स्थानीय निवास या पता	क्या वह राशन कार्ड धारक है? यदि कार्ड धारक है तो क्या वह **गरीबी रेखा या गरीबी**		परिवार के सदस्यों का **विवरण**		सार्वनिक भूमि पर निर्माण/ अतिक्रमण की प्रकृति (क्या कच्चा/कच्चा पक्का/ पक्का है	अतिक्रमण की गयी सार्वननिक भूमि का विवरण
					के नीचे है	के ऊपर के वर्ग का है	नाम आयु	परिवार के प्रधान से रिश्तेदारी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11